"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 492] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 नवम्बर 2017—— कार्तिक 24, शक 1939

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

किशोर साहू सम्मान

क्रमांक एफ -2-30/2017/30/सं. —— प्रस्तावना :- छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय सम्मान की स्थापना की है। इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत् व्यक्ति/संस्था को "किशोर साहू सम्मान" देने का निर्णय लिया है।

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है -

1. **संक्षिप्त नाम** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "किशोर साहू सम्मान नियम-2017" है।
   (2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषा** - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
   अ. "व्यक्ति" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है।
   ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है।

3. **सम्मान का स्वरूप** - हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रतिवर्ष "किशोर साहू सम्मान" राशि रुपये 02 लाख (रुपये

दो लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी। सम्मान, हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा।

4. **निर्णायक मंडल का गठन**:– राज्य शासन, हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगाः–

   1. कुलपति, खैरागढ़ विश्वविद्यालय – सदस्य

   2. अन्य चार प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ – सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :–**

   1. निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक व्यक्ति/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी।
   2. सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी ।
   3. संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे व्यक्ति/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।
   4. प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक व्यक्ति/संस्था का चयन होगा।
   5. निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार–विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।
   6. निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड–ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों

को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा।

6. **चयन की प्रक्रिया**:– सम्मान के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

   1. जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार–पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी। विज्ञप्ति जारी करने के समय आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा।
   2. प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :–

      क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ।

      ख. हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में किये गये कार्यो की जानकारी।

      ग. यदि कोई अन्य सम्मान प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

      घ. हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति। (उपलब्धतानुसार)

      च. हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र / पत्रिकाओं / ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो।

      छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के संबंध में संबंधित व्यक्ति / संस्था की लिखित सहमति।

3. (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी।

   (ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति/संस्था का कार्य दोबारा सम्मान हेतु विचारणीय नहीं है।

4. प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र–व्यवहार पर सम्मान के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5. प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा । इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जाएगा।

6. निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित सम्मान वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा–

क्रमांक	सम्मान हेतु व्यक्ति/संस्था का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2.	3.	4.	5.

7. पंजीयन के पश्चात् संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी –

   1. व्यक्ति का नाम एवं पता
   2. प्रस्तावक
   3. कलाकार की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
   4. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
   5. प्रमाण/टिप्पणियॉ
   6. सम्मान ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है ।

7. चयन का मानदंड :–

सम्मान के लिए हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :–

1. सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे व्यक्ति/संस्था का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।
2. निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में कार्यो का मूल्यांकन होगा।
3. व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सम्मान के लिए प्रस्तावित व्यक्ति/संस्था ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है।
4. सम्मान चूँकि हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के उत्कृष्ट कार्य करने वाले द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है।
5. यह भी देखा जाएगा कि हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है ।
6. निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के सम्मान के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेगी, जिस वर्ष के सम्मान के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है।
7. यदि किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी ने राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार प्रदान करने हेतु स्वयं ही विभाग में आवेदन प्रस्तुत किया हो अथवा उसके नाम का प्रस्ताव उसके संबंधित कार्यालय के माध्यम से विभाग में प्राप्त हुआ हो अथवा अन्य व्यक्ति/कार्यालय/संस्था द्वारा उसका नाम सम्मान/पुरस्कार देने हेतु प्रस्तावित किया गया हो, तो उक्त सभी स्थितियों में संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा ऐसे शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी का प्रकरण

नियमों के तहत गठित निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति प्राप्त होने पर ही उसका प्रकरण विभाग द्वारा निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

8. यदि निर्णायक मंडल (जूरी)/चयन समिति द्वारा स्वतः ही स्व–विवेक से विचार करते हुए, किसी शासकीय अधिकारी/कर्मचारी को राज्य स्तरीय सम्मान/पुरस्कार देने के लिए चयनित किया जाना हो तो उसके चयन के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. सम्मान की घोषणा :–

निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित व्यक्ति/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी ।

9. अलंकरण समारोह :–

सम्मानों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी ।

10. व्यय की संपूर्ति :– सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी।

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :– राज्य शासन, संस्कृति विभाग को सम्मान नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे।

12.अन्य दायित्वों का निर्वहन :– चयनित व्यक्ति के हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी जिसमें सम्मान के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्त के विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2017

किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण

क्रमांक एफ -2-30/2017/30/सं. — प्रस्तावना :- छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में उपलब्धि तथा दीर्घ साधना को सम्मानित करने और इनमें कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर के अलंकरण की स्थापना की है। इस पुनीत कार्य में व्यक्तियों के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन ने हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में कार्यरत् व्यक्ति को "किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण" देने का निर्णय लिया है।

इस सम्मान के विनियमन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है :-

1. **संक्षिप्त नाम** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण नियम-2017" है।
   (2) ये नियम शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. **परिभाषा** - इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
   अ. "अलंकरण" से तात्पर्य किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण से है।
   ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है।

3. **अलंकरण का स्वरूप** - हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एक व्यक्ति को प्रतिवर्ष **"किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण"** राशि रुपये 10 लाख (रुपये दस लाख) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दी जायेगी। अलंकरण हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले

एक व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा।

4. **निर्णायक मंडल का गठनः**— राज्य शासन, हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, सुप्रसिद्ध निर्देशक, अभिनय, पटकथा निर्माण क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित फिल्म विशेषज्ञों, समीक्षकों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा। चयन समिति में तीन सदस्यों की उपस्थिति होने पर बैठक आयोजित की जा सकेगी।

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :**—

1) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

2) अलंकरण के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी ।

3) संबंधित अलंकरण वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे निर्देशक के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह अलंकरण के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।

4) प्रत्येक वर्ष के अलंकरण के लिए एक सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का चयन होगा।

5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार—विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड—ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् माननीय सदस्यों को वायुयान से यात्रा करने का अधिकार प्राप्त होगा तथा इसका भत्ता प्राप्त होगा।

6. **चयन की प्रक्रियाः**— अलंकरण के लिए उपयुक्त फिल्म निर्देशकों के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :—

1) जिस वर्ष के लिए अलंकरण प्रदान किया जाना है, उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा प्रमुख समाचार—पत्रों में

राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन/विभाग के वेबसाईट पर प्रकाशित कराया जाकर नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी।

2) प्रविष्टि संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी। प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :–

क. व्यक्ति का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ।

ख. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में किये गये कार्यों की जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य सम्मान/पुरस्कार/अलंकरण प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण।

घ. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति/सी.डी./डी.वी.डी.। (उपलब्धतानुसार)

च. हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात् पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के मुखपृष्ठ की फोटो प्रति (सत्यापित) यदि कोई हो।

छ. चयन होने की दशा में अलंकरण ग्रहण करने के संबंध में संबंधित निर्देशक की लिखित सहमति।

3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्ते लागू नहीं होंगी।

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित व्यक्ति का कार्य दोबारा अलंकरण हेतु विचारणीय नहीं है।

4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र–व्यवहार पर अलंकरण के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा तथा राज्य शासन किसी भी विवाद की स्थिति में पक्षकार नहीं माना जाएगा।

6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित अलंकरण वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा–

क्र.	अलंकरण हेतु निर्देशक का नाम तथा पता	प्रस्तावक का नाम पद एवं पता	उपलब्धियों का विवरण	प्राप्त सम्मान / पुरस्कार	कार्य अनुभव का वर्ष
1.	2.	3.	4.	5.	6.

7. **चयन का मानदंड :–**

अलंकरण के लिए हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :–

1) अलंकरण के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे फिल्म निर्देशक का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो।
2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में कार्यो का मूल्यांकन होगा।
3) व्यक्ति अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अलंकरण के लिए प्रस्तावित व्यक्ति ने हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में दीर्घकालीन सेवा की है।
4) अलंकरण हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा।
5) यह भी देखा जाएगा कि हिन्दी / छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है ।
6) निर्णायक मण्डल के परिवार के सदस्य उस वर्ष के अलंकरण के लिए अपनी प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे।
7) यदि चयन समिति अलंकरण के लिए किसी निर्देशक को उपयुक्त नहीं पाती है अथवा प्रविष्टियां प्राप्त नहीं होती हैं तो उस वर्ष अलंकरण नहीं दिया जा सकेगा।

8) अलंकरण की घोषणा :– निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रूप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा अलंकरण के लिए चयनित व्यक्ति की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9) राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय अलंकरण/सम्मान संयुक्त रूप से एक ही व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा।

8. अलंकरण समारोह :–

अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित व्यक्ति को आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में सम्मानित व्यक्ति अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी। सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी के समकक्ष रेल एवं वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी ।

9. व्यय की संपूर्ति :– अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी।

10. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :– राज्य शासन, संस्कृति विभाग को अलंकरण नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी, ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है, को निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग में वेष्ठित होंगे।

11. अन्य दायित्वों का निर्वहन :– चयनित व्यक्ति के हिन्दी/छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन कार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी, जिसमें अलंकरण के उद्देश्य एवं अलंकरण ग्रहिता का विवरण आदि का समावेश होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निहारिका बारिक सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.